SAIL has taken number of steps to improve the performance, which inter-alia include reduction in cost by improving the techno-economic parameters, demand oriented production, improving quality of products, and increasing sales thorugh aggressive and customer oriented marketing, etc.

कार निर्माता कंपनियों के साथ हुआ मसझौता

*578. **श्री राज मोहिन्दर सिंह**:

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कार निर्माता कम्पनियों के साथ 1995 में हस्ताक्षरित समझौते में यह तय किया गया था कि वे अगामी तीन वर्ष की अवधि में 50 प्रतिशत कल-पुर्जे का निर्माण भारत में ही करेंगे;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कार कम्पनियों द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित समझौते का पालन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस समझौते का उल्लंघन करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और भविष्य के लिए कौन-कौन से नए समझौते किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेग्ड़े) : (क) से (घ) सरकार ने 26.6.95 को यह निर्णय लिया था कि उन विदेशी संयुक्त उद्यम कंपनियों को, जिन्होंने यात्री कारों के लिए उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त की है, डी जी एफ टी के साथ समझौता क्षापन को निष्पादित करना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपने अनुमानित स्वेदेशीकरण योजनाओं को विनिर्दिष्ट किया जाए। छः संयुक्त उद्यम कार विनिर्माता कंपनियों ने 1995 में सरकार के साथ समझौता क्षापनों पर हस्ताक्षर किए थे जिनमें अपनी स्वेदेशीकरण योजनाओं के स्वेच्छा पूर्वक अनुमान प्रस्तुत किए गए थे क्योंकि उस समय प्रवृत्त समझौता क्षापन नीति में 50 प्रतिशत स्वदेशीकरण निर्धारित नहीं किया गया था। समझौता क्षापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही ऐसी कंपनियों को सी के डी/एस के डी किटों का आयात करने के लिए पहला लाइसेंस दिया जाना था और प्रथम वर्ष के बाद उत्तरवर्ती लाइसेंस अपने स्वयं के अनुमानों के बारे में इन कंपनियों द्वारा प्राप्त की गयी प्रगति के आधार पर जारी किए जाने थे। इन कंपनियों की समीक्षा करने से यह स्पष्ट हुआ कि कुल मिलाकर इन कंपनियों द्वारा स्वेदेशीकरण संबंधी अनुमानों को पूरा किया गया था। तथापि, चूंकि पूर्ववर्ति समझौता ज्ञापन नीति में कोई न्यूनतम प्रचर्तनीय प्रतिबद्धता निर्धारित नहीं की गयी थी और ऑटोमोबाइल्स कंपनियों द्वारा अपनी स्वदेशीकरण योजनाओं के बारे में स्वैच्छिक अनुमान प्रस्तुत किया जाना अपक्षेति था, इसलिए समझौता ज्ञापन नीति की घोषणा 12.12.97 की सार्वजनिक सूचना सं.60 में की गई थी। इसमें सभी संयुक्त उघम कार विनिर्माता कंपनियों के लिए सी के डी/एस के डी किटों/संघटकों को प्रथम आयात खेप की स्वीकृति की तारीख से 3 वर्ष में 50 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर तक और पांचवें वर्ष में अथवा इससे पहले 70 प्रतिशत तक संघटकों का स्वेदेशीकरण निर्धारित किया गया। जिन कंपनियों ने 1995 की योजना और 1997 की योजना के अंतर्गत समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं वे निम्नानुसार हैं:-

नाम	समझौता ज्ञापन की तारीख
डी सी एम डेबू मोटर्स लि., नई दिल्ली	14.7.95
कल्याण मोटर्स कं. लि., थाने	28.7.95
मर्सिडिज बेन्ज इंडिया प्रा.लि., पुणे	7.9.95
प्रीमियर ऑटोमोबाइल लि., बम्बई	27.9.95
जनरल मोटर्स इंडिया लि. हलोल; गुजरात	23.1.96
होन्डा सीयल कार इंडिया लि., दिल्ली	27.4.98
इंड ऑटो ली., बम्बई	10.7.98

महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा कम मजूरी दिया जाना

*579. **श्रीमती सरोज दुबे**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को पुरूषों की तुलना में कम मंजूरी दी जाती है;

(ख) यदी हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कारगर कदम उठाने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) समान परिश्रमिक अधिनियम, 1976 में उसी तरह के कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए महिलाओं को समान परिश्रमिक की अदायगी की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सरकार या रेलवे प्रशासन के